

प्रेस नोट
दिनांक 03.07.2024, थाना धानेपुर,
जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी की योजना बनाते 04 अन्तर्जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण, कब्जे से 17 पायल, 18 जोड़ी बिछुआ, 03 अदद चैन, 04 अंगूठी, 02 अदद सिक्का (सफेद धातु), 02 अदद गले का हार, 01 जोड़ी झुमका, 01 अदद लाकेट पड़ा मंगलसूत्र, 01 अदद झाला (पीली धातु), चोरी किये गये 55,590/- रूपये नगदी तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण लोहे का राड़, लोहे का सब्बल, प्लास, टार्च, 02 अदद अवैध तमंचा मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद अवैध चाकू बरामद:-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते 04 अन्तर्जनपदीय शातिर चोरो 01. रोशन लाल, 02. ननगोड़े उर्फ ननकऊ, 03. बब्बू, 04. शिवबहादुर को गिरफ्तार कर मु0अ0स0 130/2024 धारा 457, 380 भादवि व मु0अ0स0 171/2024 धारा 457, 380 भादवि थाना धानेपुर, मु0अ0स0 404/2024 धारा 457, 380 भादवि थाना को0नगर व मु0अ0स0 286/2024 धारा 457, 380 भादवि थाना कर्नलगंज से सम्बन्धित चोरी की गई 17 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 18 जोड़ी बिछुआ (सफेद धातु), 03 अदद चैन(सफेद धातु), 04 अंगूठी (सफेद धातु), 02 अदद सिक्का (सफेद धातु), 02 अदद गले का हार (पीली धातु), 01 जोड़ी झुमका (पीली धातु), 01 अदद लाकेट पड़ा मंगलसूत्र (पीली धातु), 01 अदद झाला (पीली धातु), चोरी किये गये 55,590/- रूपये नगद तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण 01 अदद लोहे का राड़, 01 अदद लोहे का सब्बल, 01 अदद प्लास, 01 अदद टार्च, 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर मु0अ0स0 194/2024 धारा 313 बीएनएस व 3/4/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री शुभकरन तिवारी पुत्र स्व0 बुधराम, रामपति पुत्र शिवप्रसाद, पल्टूराम पुत्र भगौती व नन्दलाल पुत्र ननकऊ निवासीगण दुबिहा मौजा डेबरीकला थाना धानेपुर द्वारा संयुक्त थाना धानेपुर को सूचना दिया गया की दिनांक 11.05.2024 की रात्रि में 02 घरों में अज्ञात चोरो द्वारा पीछे के दरवाजे से मकान में घुसकर कीमती समान चोरी कर लिए है। तथा वादी श्री मनीष कुमार पुत्र जशकरन निवासी सेवकपुरवा मौजा ख्वोजाजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दिया गया की दिनांक 07.06.2024 को उनके घर में अज्ञात चोरी द्वारा घर का ताला तोड़कर कीमती जेवरात व लगभग 28,000/- रूपये नगदी आदि चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम सहित कई टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 02/03.07.2024 को थाना धानेपुर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा रात्रि गस्त व देखाभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर समया माता मन्दिर खेवण्डा के पास से चोरी की योजना बनाते 04 अंतर्जनपदीय शातिर चोरो 01. रोशन लाल, 02. ननगोड़े उर्फ ननकऊ, 03. बब्बू, 04. शिवबहादुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 17 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 18 जोड़ी बिछुआ (सफेद धातु), 03 अदद (सफेद धातु), 04 अंगूठी (सफेद धातु), 02 अदद सिक्का (सफेद धातु), 02 अदद गले का हार (पीली धातु), 01 जोड़ी झुमका (पीली धातु), 01 अदद लाकेट पड़ा मंगलसूत्र (पीली धातु), 01 अदद झाला (पीली धातु), चोरी किये गये 55,590/- रूपये नगद तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण 01 अदद लोहे का राड़, 01 अदद लोहे का सब्बल, 01 अदद प्लास, 01 अदद टार्च, 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया है। बरामदगी

व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो के द्वारा दिनांक 06.06.2024 को थाना को0नगर के करियापुरवा रोड जानकीनगर में एक घर में घुसकर कीमती जेवरात चोरी किये थे तथा दिनांक 18/19.06.2024 की मध्य रात्रि कंचनापुर को0कनैलगंज में घर में घुस कर जेवरात व नकदी की चोरी की थी। इसी प्रकार इन लोगो द्वारा जनपद बहराईच में भी कई चोरियां की गयी थी। इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर आस पास के जनपदों में दिन में रैकी कर घरों में चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। तथा इनके विरुद्ध चोरी आदि भिन्न भिन्न धाराओं में आस पास के जनपदों में एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रोशन लाल पुत्र चन्द्रिका निवासी देवानपुरवा मौजा दिमितपुरवा थाना विश्वेशरगंज जनपद बहराईच
02. ननगोड़े उर्फ ननकऊ पुत्र भगवान निवासी अंरकापुर लोनियनपुरवा थाना पयागपुर जनपद बहराईच
03. बब्बू पुत्र रामप्रसाद निवासी ववया मौजा रूकनापुर थाना पयागपुर जनपद बहराईच।
04. शिवबहादुर पुत्र रामदयाल निवासी अंरकापुर लोनियनपुरवा थाना पयागपुर जनपद बहराईच

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 194/2024 धारा 313 बीएनएस व 3/4/25 आर्मस एक्ट थाना धानेपुर गोण्डा।

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0स0 130/2024 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0 171/2024 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0 404/2024 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0स0 286/2024 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना को0कनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 17 जोड़ी पायल सफेद धातु
02. 18 जोड़ी विछुआ सफेद धातु
03. 03 अदद चैन सफेद धातु
04. 04 अंगूठी सफेद धातु
05. 02 अदद शिक्का सफेद धातु
06. 02 अदद गले का हार पीली धातु
07. 01 जोड़ी झुमका पीली धातु
08. 01 अदद लाकेट पडा हुआ मंगलसूत्र पीली धातु
09. 01 अदद झाला पीली धातु
10. चोरी की 55,590/- रूपये नगद पीली धातु

चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद

01. 01 अदद लोहे का राड़
02. 01 अदद सब्बल लोहे का

03. 01 अदद प्लास
04. 01 अदद टार्च
05. 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
06. 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
07. 02 अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 परशुराम सिंह मय टीम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 गजानन्द पाठक
03. हे0का0 अशोक यादव
04. हे0का0 आनन्द प्रकाश यादव
05. हे0का0 फहिमुद्दीन खान
06. हे0का0 अखिलेश राय
07. एसओजी प्रभारी सर्वजीत गुप्ता मय टीम जनपद गोण्डा।
08. उ0नि0 शादाब आलम
09. हे0का0 पंकज सिंह
10. हे0का0 अमित पाठख
11. हे0का0 महेन्द्र यादव
12. हे0का0 रणधीर सिंह
13. का0 आदित्य पाल

अभियुक्त रेशन लाल पुत्र चन्द्रिका का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0स0- 80/24 धारा 60 अबकारी अधि0 थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच
02. मु0अ0स0- 292/21 धारा 401 भादवि थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच
03. मु0अ0स0- 369/20 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच
04. मु0अ0स0- 768/15 धारा 60 अबकारी अधि0 थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच
05. मु0अ0स0- 535/09 धारा 457, 380 भादवि थाना पयागपुर जनपद बहराइच
06. मु0अ0स0- 167/06 धारा 457, 380 भादवि थाना पयागपुर जनपद बहराइच
07. मु0अ0स0- 210/04 धारा 457, 380 भादवि थाना पयागपुर जनपद बहराइच
08. मु0अ0स0- 3420/16 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना को0बस्ती जनपद बस्ती
09. मु0अ0स0- 1469/16 धारा 458, 380, 414, 413, 506 भादवि थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती
10. मु0अ0स0- 3752/16 धारा 380, 411 भादवि थाना को0बस्ती जनपद बस्ती
11. मु0अ0स0- 3519/16 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना को0बस्ती जनपद बस्ती
12. मु0अ0स0- 3929/16 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना को0बस्ती जनपद बस्ती
13. मु0अ0स0- 4059/16 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना को0बस्ती जनपद बस्ती
14. मु0अ0स0- 4056/16 धारा 307, 401, 411, 413 भादवि थाना को0बस्ती जनपद बस्ती
15. मु0अ0स0- 510/16 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कलवारी जनपद बस्ती
16. मु0अ0स0- 4392/16 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना को0बस्ती जनपद बस्ती
17. मु0अ0स0- 2023/14 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती

अभियुक्त ननगौड़े का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 64/19, धारा-411, 413, 414, 419, 420 भादवि0 थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
02. मु0अ0सं0- 28/19, धारा- -411, 413, 414, 419, 420 भादवि0 थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
03. मु0अ0सं0- 115/19, धारा- 3 (1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
04. मु0अ0सं0- 155/19, धारा- 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
05. मु0अ0सं0- 255/18, धारा-380,457,411 भादवि0 थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइचा
- 06 मु0अ0सं0- 258/18, धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
07. मु0अ0सं0- 255/18, धारा- 457,380,411 भादवि थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइचा
08. मु0अ0सं0- 418/17, धारा- 379,411 भादवि0 थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइचा
09. मु0अ0सं0- 1444/16, धारा- 60 Ex Act थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
10. मु0अ0सं0- 470/12, धारा- 41, 109 सीआरपीसी थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
11. मु0अ0सं0- 2178/10, धारा-380, 457, 411 भादवि0 थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती।
12. मु0अ0सं0- 118/09, धारा- 41, 109 सीआरपीसी थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
13. मु0अ0सं0- 126/04, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
- 14 मु0अ0सं0- 94/04, धारा- 110G सीआरपीसी थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
15. मु0अ0सं0- 201/01, धारा- 60 Ex Act थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
- 16 मु0अ0सं0- 342/03, धारा-8/25 एनडीपीएस एक्ट थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा

अभियुक्त बब्बू चौहान का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 1185/14, धारा- 60 Ex Act थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा
02. मु0अ0सं0- 130/19, धारा- 457, 380, 411 भादवि0 थाना हुजूरपुर जनपद बहराइचा
03. मु0अ0सं0- 111/18, धारा- 323, 376डी, 504, 506 भादवि0 थाना प्रयागपुर जनपद बहराइचा

मीडिया सेल, गोण्डा।

दिनांक 03.07.2024, खोडारे

जनपद गोण्डा।

थाना खोडारे क्षेत्रान्तर्गत दुकान में घुसकर चोरी करने के 02 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार तथा 02 बाल अपचारियों को पुलिस हिरासत में लेकर कब्जे से चोरी का माल व घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद:-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोडारे पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 146/24, धारा 331(4), 305(A), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 नामजद आरोपी अभियुक्तों 01. रामसुधीर, 02. बब्बु को गिरफ्तार कर उक्त घटना में संलिप्त 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से चोरी के 01 अदद लोहे का ताला, 01 अदद ताला तोड़ने का सरिया नुकिला, 01 अदद हथौड़ा, पान मशाला गुटखा, बिस्कुट, बैंक पासबुक की छायाप्रति बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री विनोद कुमार पुत्र मोलाहे निवासी ग्राम अल्लीपुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 03.07.2024 को थाना खोडारे पर सूचना दिये कि उसके डीजल व गल्ले की दुकान है दुकान के अन्दर ही सपरिवाह रहता है आज रात में रामसुधीर पुत्र मुन्नीलाल, बब्बु पुत्र गोविन्द द्वारा घर के बाहर लगे ताला को तोड़कर घर में चोरी करने की नियत से घुस गये वादी के घर वाले जग रहे थे कि घर में ही पकड़ लिया गया तथा 02-03 लोग अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोडारे में मु0अ0स0- 146/24, धारा 331(4), 305(A) बी0एन0एस0 बनाम 01. रामसुधीर, 02 बब्बु के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर पुलिस हिरासत में लिया गया था। तथा उनके कब्जे से 01 अदद लोहे का ताला, 01 अदद ताला तोड़ने का सरिया नुकिला, 01 अदद हथौड़ा, पान मशाला गुटखा, बिस्कुट, बैंक पासबुक की छायाप्रति बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खोडारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी। तथा प्रकाश में आये उक्त घटना में संलिप्त 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामसुधीर पुत्र मुन्नीलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम अल्लीपुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा।
02. बब्बु पुत्र गोविन्द उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम अल्लीपुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 146/24, धारा 331(4), 305(A) बी0एन0एस0 थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद लोहे का ताला
02. 01 अदद ताला तोड़ने का सरिया नुकिला
03. 01 अदद हथौड़ा
04. पान मशाला गुटखा,
05. बिस्कुट
06. बैंक पासबुक की छायाप्रति

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा
02. का0 जनार्दन सिंह
03. का0 प्रकाश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.07.2024, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नशीली गोलियों के साथ 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा देखाभाल क्षेत्र के दौरान स्टेशन रोड सतईपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा 03 अभियुक्तों 01. देवीशंकर चौबे, 02. सूरज पाण्डेय, 03. भगौती पाण्डेय व 01 अभियुक्ता 04. श्रीमती राका सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 600 अदद नशीली गोलियां अल्प्राजोलम व 43 पुडिया स्मैक (अवैध मादक पदार्थ) बरामद कर थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-491/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 03.07.2024 को थाना को0 नगर के उ0नि0 सोमप्रताप सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि स्टेशन रोड सतईपुरवा के पास अवैध मादक पदार्थ के साथ 03 व्यक्ति व 01 महिला खड़ा है प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी कर 03 अभियुक्तों 01. देवीशंकर चौबे, 02. सूरज पाण्डेय, 03. भगौती पाण्डेय व 01 अभियुक्ता 04. श्रीमती राका सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 600 अदद नशीली गोलियां अल्प्राजोलम व 43 पुडिया स्मैक (अवैध मादक पदार्थ) बरामद कर थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 491/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. देवीशंकर चौबे पुत्र गंगाशरण चौबे निवासी ग्राम मोकलपुर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. सूरज पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी ग्राम पोर्टरगंज पथवलिया थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
03. भगौती पाण्डेय पुत्र किशोरी लाल पाण्डेय निवासी ग्राम पोर्टरगंज परेड सरकार थाना को0 नगर, गोण्डा।
04. श्रीमती राका सिंह पत्नी रामकुमार सिंह निवासिनी आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-491/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 600 अदद नशीली गोलियां अल्प्राजोलम 0.50Mg
02. 49 पुडिया स्मैक (अवैध मादक पदार्थ)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सोमप्रताप सिंह
02. का0 प्रभाकर यादव
03. का0 जसीम अहमद
04. का0 विजय कुमार
05. म0का0 रिया सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 03.07.2024 थाना को0मनकापुर

जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01

अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त निर्मल पुत्र मिहीलाल निवासी ग्राम मऊ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को आई0टी0आई0 के पीछे जाने नथुनिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0स0- 334/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 03.07.2024 को थाना को0मनकापुर के उ0नि0 अखिलेश राही मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि ग्राम आ0टी0आई0 के पीछे नथुनिया मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर अभियुक्त निर्मल पुत्र मिहीलाल निवासी ग्राम मऊ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0स0- 334/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. निर्मल पुत्र मिहीलाल निवासी ग्राम मऊ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 334/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अखिलेश राही
02. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता
03. हे0का0 वीरेन्द्र कुमार तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।